FORM NO- 10

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

कोषाधिकारी सीकर बनाम चन्दादेवी वगै0

मु0न0– 07/2015

किस्म मुकदमाः– पीडीआर.एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर वतारीख अहकामजो इस हुक्मकी तामील में जारी हुए
19.12.2019	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है कि कोषाधिकारी सीकर के द्वारा श्रीमती चन्दादेवी पत्नी श्री गोविन्दराम सैनी व श्री गोविन्दराम सैनी पुत्र नामालूम निवासीगण राधाकिशनपुरा, ऑयल मिल के सामने, सीकर के विरूद्व अल्प बचत की राशि 2,27,030/– रूपये अवधि वर्ष 1999–2000 की वसूली पी.डी. आर. के तहत किये जाने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में भिजवाया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उक्त राशि बकाया नहीं होने के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज ना तो प्रस्तुत किया गया एवं इस सम्बंध में ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह साबित किया जा सके कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त बकाया राशि जमा करवाई जा चुकी है। अतः बाकीदार श्रीमती चन्दादेवी पत्नी श्री गोविन्दराम सैनी व श्री गोविन्दराम सैनी पुत्र नामालूम निवासीगण राधाकिशनपुरा, ऑयल मिल के सामने, सीकर से मूल बकाया राशि 2,27,030/– रूपये अंकेही दो लाख सताईस हजार तीस रूपये मात्र वर्ष 1999–2000 से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं पी.डी. आर.एक्ट की धारा 14 के तहत इस संदर्भ में बने नियम 12ए के तहत कोस्ट (वसूली चार्जेज) 10 प्रतिशत से 22,703/– रूपये अंकेही बाईस हजार सात सौ तीन रूपये मात्र वसूल किये जाने के आदेश दिये जाकर वसूली हेतु सर्टिफिकेट स्वीकार नियम 4 के अन्तर्गत वसूली हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जावे। उक्त सर्टिफिकेट स्वीकार नियम 4 उपखण्ड अधिकारी, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि एल.आर.एक्ट की धाराओं के तहत नियमानुसार वसूली की जाकर सम्बंधित विभाग में जमा करवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। 19/12/19 अति. जिला कलक्टर, सीकर	